

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के लाभुकों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रू०- 9,32,84,000.00 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 1178 दिनांक- 19.03.2018 में विभागीय संकल्प सं०- 782 दिनांक- 17.05.2018 के अनुरूप संशोधित करने के संबंध में।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1178 दिनांक 19.03.2018 द्वारा बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के लाभुकों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रू० 9,32,84,000.00 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत्यादेश निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

1. योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना किया जाता है।
2. इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं ग्रामीण उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान तथा 50 प्रतिशत राशि सूद मुक्त ऋण के रूप दिया जायेगा जिसकी वसूली 84 समान किस्तों में (सात वर्ष) बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य वित्तीय निगम, पटना द्वारा की जायेगी।
3. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को राशि की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या-782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका-1 में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी। परियोजना की प्रति इकाई की कुल लागत रू० 10.00 (दस) लाख अधिकतम होगा एवं लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण आदि के लिए रू० 25,000/- की दर से प्रति इकाई व्यय किया जायेगा।
4. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता संकल्प संख्या-782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के तहत होगी।
5. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन संकल्प संख्या-782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका-3 में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सदस्य के रूप में रखा जाता है।
6. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।
7. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को राशि की विमुक्ति विभागीय संकल्प संख्या-782 दिनांक 17.05.2018 की कंडिका-6 में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी।

अनुलग्नक:-

1. विभागीय संकल्प संख्या-782 दिनांक-17.05.18 की प्रति।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314

/पटना, दिनांक- 04.06.18

सं०स०- 5/स० अनु० जाति (खा०बो०)-02/2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

1/6/2018

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 2314 /पटना, दिनांक- 04-06-18

सं0स0- 5/स0 अनु0 जाति (खा0बो0)-02/2018

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/6/2018
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आरुण कुमार

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :- राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु० 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति के संबंध में।

राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरूची पैदा करने के उद्देश्य से एक विशेष स्व-रोजगार सृजन योजना की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सृजित करना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु० 98.23 (अन्तानबे करोड़ तेईस लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु० 100.07 (एक सौ करोड़ सात लाख रुपये), वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु० 80.85 (अस्सी करोड़ पचासी लाख रुपये) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 70.39 (सत्तर करोड़ उन्चालीस लाख रुपये) की राशि का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया गया जिसका व्यय नहीं होने के फलस्वरूप राशि को सरकारी कोष में जमा करना पड़ा। इन वर्गों के लिए इस योजना का दिशानिर्देश सहज एवं सरल होगा जिससे इस योजना का कार्यान्वयन आसानी से हो सके।

1. परिचय :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 5.00 (पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000/- (पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

2. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :-

- i. बिहार के निवासी हो।
- ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत हो।
- iii. कम-से-कम 10+2 या इन्टरमीडियट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो।
- iv. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के हों।
- v. इकाई प्रोपराईटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा Pvt.Ltd.Company के तहत निबंधित हो।

3. इस योजना अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत है :-

i.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना	-	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय	-	सदस्य-सह-सचिव
iii.	उद्योग निदेशक, बिहार, पटना	-	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम, पटना	-	सदस्य
v.	विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
vi.	उप उद्योग निदेशक, योजना प्रभारी, उद्योग विभाग	-	सदस्य
vii.	चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	-	सदस्य
viii.	विकास प्रबंधन संस्थान, पटना के प्रतिनिधि	-	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना	-	सदस्य
x.	अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पटना	-	सदस्य

4. इस योजनान्तर्गत लाभुकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त समिति द्वारा परियोजना के लिए राशि का मूल्यांकन उद्यमी की आवश्यकताओं को देखते हुए की जायेगी एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना की प्रथम किस्त के रूप में रु० 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) विमुक्त किया जा रहा है। आवेदकों की संख्या में वृद्धि के अनुसार इस योजनान्तर्गत समुचित राशि का उपबंध किया जायेगा।

5. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

6. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु० 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड का निर्माण के उपरान्त द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 5.00 (पाँच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु० 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।

7. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु० 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल परियोजना लागत 50:50 के ऋण एवं अनुदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रु० 25,000/- के दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित राशि का व्यय (I) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड-23-2852807890102, विषय शीर्ष-0102.31.06, सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में रु० 16.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु० 2,33,75,000 एवं

मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0101-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-23- 2852087960101, विषय शीर्ष-0101.31.06, सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में रु० 3.00 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि में से रु० 16,25,000 की जायेगी।

(II) मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807890101, विषय शीर्ष-0101.27.01 लघु कार्य मद में रु० 26.35 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य

शु.व-80- सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0105-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807890105, विषय शीर्ष-0105. 33.01 सब्सिडी मद में रु0 15.00 करोड़ अर्थात कुल रु0 41.35 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0123-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख रखाव बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852807960123, विषय शीर्ष-0123.27. 01 लघु कार्य मद में रु0 1.08 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष- 0122-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852807960122, विषय शीर्ष-0122.33.01 सब्सिडी मद से रु0 25.00 लाख अर्थात कुल रु0 1.33 करोड़ बजट उपबंध में उपबंधित राशि से की जायेगी।

शेष राशि का उपबंध विभागीय उद्व्यय के अंतर्गत आंतरिक सामंजन से प्रस्तावित है।

9. राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत इस योजना हेतु प्रोत्साहन राशि रु0 102.50 करोड़ (एक सौ दो करोड़ पचास लाख रुपये) की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[Signature]
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

स०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

[Signature]
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

स०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक-

स०स०- 4तक०/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

सं0स0- 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

सं0स0- 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

सं0स0- 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 782 /पटना, दिनांक- 17.05.18

सं0स0- 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।